न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 15 / 2025 तारीख रजू :– 03.03.2025

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

मगनबाई पत्नि रामकेश जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0
2. नायब तहसीलदार बालघाट, जिला करौली राज0
3. श्रीमति कम्पूरी पत्नि चिरंजी जाति तेली निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी अमनपुरा सालोदा मोड गंगापुर सिटी, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0।
4. मु0 खातून पुत्री चिरंजी पत्नि अनीस जाति तेली निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी बमनपुरा गंगापुर सिटी, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0।
5. मु0 जरीना पुत्री चिरंजी पत्नि इब्राहीम खान जाति तेली निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी 901 बापू कालोनी गणेशपुरा रोड रंगपुर रोड कोटा राज0
6. मु0 रहीसा पुत्री चिरंजी पत्नि रहीस अहमद जाति तेली निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी 52 हनुमान नगर सिरसी रोड भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
7. मु0 सुफेदा पुत्री चिरंजी पत्नि रसीद जाति तेली निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 हाल निवासी 378 तेलीपाडा श्यारोली तहसील बजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट वादीया

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी नं0 1 व 2

प्रतिवादी नं0 3 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महस्वा तह0 टोडाभीम के जमाबंदी खाता संख्या 955 सम्वत् 2076–2079 के खसरा नम्बर 404 / 0.20, 405 / 0.28, 406 / 0.17, 407 / 1.35, 408 / 0.06, 409 / 0.25,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

410/1.36, 411/0.49, 412/0.36, 413/0.41, 414/0.15, 415/0.22, 416/0.36, 417/0.08, 418/0.10, 419/0.07, 420/0.14, 421/0.07, 422/0.33, 423/0.10, 424/1.09, 425/0.65, 426/0.53, 427/0.26, 428/0.30, 429/0.48, 430/0.29,431/0.23, 432/0.24, 433/0.53, 434/0.55, 435/0.23, 436/0.30, 437/0.78, 438/0.80, 439/0.29, 440/0.25, 441/0.88, 444/1.10, 450/0.10, 452/8549/0.03, कुल किता 41 कुल रकवा 16.46 है0 स्थित ग्राम महस्वा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी 3 ता 7 का हिस्सा 315/8230 खातेदार रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड रहा है।

उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 3 ता 7 का 315/8230 बहिस्सा की खातेदारी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 10.11.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6 के पृष्ठ संख्या 202103184100303 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 21 के पृष्ठ संख्या 317 से 326 पर चस्पा किया गया। प्रतिवादी नं0 3 ता 7 द्वारा अपने अपने सम्पूर्ण हिस्से में से वादीया को बहिस्सा 315/8230 विक्रय कर दी तथा कब्जा वादीया सम्भला दिया तथा वादीया खरीद के दिन से उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है तथा बिना किसी विघ्न के काश्त करती चली आ रही है तथा आज भी काबिज होकर काश्त कर रही है।

वादीया अपनी खरीदशुदा आराजी के नामान्तकरण खुलवाने के लिये प्रयासरत है तथा वादी दिनांक 10.02.2025 को तहसीलदारजी से मिले तथा विक्रय पत्र तारीखी 10.11.2021 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने को निवेदन किया तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर आदेश लाने के कहा है। अतः दावा दायर करना लाजमी हुआ है। विनायदावा दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादी द्वारा वादीया के नाम नामांन्तकरण नहीं खोलने व खातेदारी दर्ज नहीं कराने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम महस्वा तह टोडाभीम इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हैं। वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 404/0.20, 405/0.28, 406/0.17, 407/1.35, 408/0.06, 409/0.25, 410/1.36, 411/0.49, 412/0.36, 413/0.41,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

414/0.15, 415/0.22, 416/0.36, 417/0.08, 418/0.10, 419/0.07, 420/0.14, 421/0.07, 422/0.33, 423/0.10, 424/1.09, 425/0.65, 426/0.53, 427/0.26, 428/0.30, 429/0.48, 430/0.29,431/0.23, 432/0.24, 433/0.53, 434/0.55, 435/0.23, 436/0.30, 437/0.78, 438/0.80, 439/0.29, 440/0.25, 441/0.88, 444/1.10, 450/0.10, 452/8549/0.03, कुल किता 41 कुल रकवा 16.46 है0 स्थित ग्राम महस्वा तह टोडाभीम जिला करौली से प्रतिवादी नं0 3 ता 7 का हिस्सा 315/8230 की खातेदारी रेवन्यू रिकार्ड में से हजफ फरमाया जाकर वादीया को खातेदार काशतकार घोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण नं0 3 ता 7 बावजूद सूचना के न्यायालय अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 ग्राम महस्वा के खाता संख्या 955 में आराजी खसरा नम्बर 404 से 441, 444, 450, 452/8549 किता 41 कुल रकवा 16.46 है0 में कम्पूरी पत्नि चिरंजी हिस्सा 63/8230, खातून पुत्री चिरंजी हिस्सा 63/8230, जरीना पुत्री चिरंजी हिस्सा 63/8230, रहिसा पुत्री चिरंजी हिस्सा 63/8230, सुफेदा पुत्री चिरंजी हिस्सा 63/8230 जाति तेली साकिन देह दर्ज रिकार्ड है एवं अन्य 24 व्यक्ति संयुक्त खातेदार व गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी नं0 3 ता 7 कम्पूरी पत्नि चिरंजी, खातून, जरीना, रहिसा, सुफेदा पुत्रियां चिरंजी जाति तेली निवासी महस्वा ने अपने आराजी खसरा नम्बर 404 से 441, 444, 450, 452/8549 किता 41 कुल रकवा 16.46 है0 में हिस्सा 315/8230 सम्पूर्ण भाग को वादी मगनबाई पत्नि रामकेश को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा बेचान कर दिया है। उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान के खाता संख्या 955 में संयुक्त खातेदार एवं गैर खातेदार दर्ज होने के कारण कम्प्यूटर में ऑनलाईन नामान्तकरण दर्ज करने पर ई–धरती पोर्टल पर उक्त खाता प्रदर्शित नहीं होता है। जिसके कारण विकय पत्र का नामान्तकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया द्वारा उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्राप्त किया हुआ है। जिसका नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया द्वारा उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। अतः वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम महस्वा के आराजी खसरा नम्बर 404/0.20, 405/0.28, 406/0.17, 407/1.35, 408/0.06, 409/0.25, 410/1.36, 411/0.49, 412/0.36, 413/0.41, 414/0.15, 415/0.22, 416/0.36, 417/0.08, 418/0.10, 419/0.07, 420/0.14, 421/0.07, 422/0.33, 423/0.10, 424/1.09, 425/0.65, 426/0.53, 427/0.26, 428/0.30, 429/0.48, 430/0.29,431/0.23, 432/0.24, 433/0.53, 434/0.55, 435/0.23, 436/0.30, 437/0.78, 438/0.80, 439/0.29, 440/0.25, 441/0.88, 444/1.10, 450/0.10, 452/8549/0.03, कुल किता 41 कुल रकवा 16.46 है0 स्थित ग्राम महस्वा तह टोडाभीम जिला करौली से प्रतिवादी नं0 3 ता 7 का हिस्सा 315/8230 को हजफ कर वादीया को 315/8230 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बालघाट उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिकी जारी हो

यह निर्णय दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner